भत्ते की लालच में करा लिया पंजीकरण

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

जमीनी हालत-9

ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) की सफलता के कारण भी ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में काफी वोट मिले. इसीलिए हम पेश कर रहे हैं नरेगा का लेखा-जोखा. इसमें हम इस योजना की जमीनी हालत बताने की कोशिश कर रहे हैं. आप पढ़ चुके हैं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र का हाल. आज पढ़िए हरियाणा के बारे में.

संजीव शुक्ल चंडीगढ़

हरियाणा में नरेगा शुरुआत में सिर्फ महेन्द्रगढ़ व सिरसा में लागू था, लेकिन दूसरे चरण में इसे अम्बाला तथा मेवात में लागू किया गया। अन्ततः इसे पूरे राज्य में लागू किया गया। इस सबके बावजूद नरेगा को लोगों ने उस प्रकार नहीं अपनाया जिस प्रकार अन्य पिछड़े प्रदेशों में इसे लोगों ने हाथों-हाथ लिया। जानकारों का कहना है कि हरियाणा गरीब राज्यों में नहीं है, इसलिए काम मांगने वालों की संख्या यहां काफी कम रही है।

नरेगा की स्थिति

परिवार जिन्हें रोजगार मिला	1.62932 लाख
अनुसूचित जाति	36.65 [53.03%]
जनजाति	0 [0%]
महिलाएं	21.18 [30.64%]
अन्य	32.46 [46.97%]
कुल कोष	160.16 करोड़
खर्च	109.88 करोड़
काम जो शुरू8 किए गए	6314
काम पूरे हुए	3517
जो काम चल रहे हैं	2797

इस मामले में आँकड़े स्वतः बोलते हैं। वर्ष 2009-2010 में 30 मई 2009 तक पंजीकृत परिवारों की संख्या 3,69,435 थी जबकि रोजगार 2,671 परिवारों को मिला और इनमें से मात्र एक परिवार ने 100 दिनों तक काम किया। इस बारे में विभाग के लोगों का कहना है कि 2 फरवरी 2006 में अधिनियम लागू होने के साथ नेताओं ने इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की।

उन्हें लगा कि इसमें पंजीकरण के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा। अतः राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को इसमें पंजीकृत करवा दिया। जब उन्हें काम मिला और पता चला कि सारा काम श्रम प्रधान है, यानि मशीनों का इस्तेमाल नहीं है और जितना काम होगा उतना ही मेहनताना मिलेगा।

धीरे-धीरे यह सच्चाई भी सामने आई कि मात्र पंजीकरण से ही बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला नहीं है, तो यही लोग पीछे हट गए। भत्ता तभी मिलता है जब सरकार रोजगार नहीं दे पाती, लेकिन वह नौबत हरियाणा में नहीं।

हिन्दुस्तान